

आदेश

पुलिस मुख्यालय में चिकित्सीय एवं अन्य आधार पर स्थानान्तरण हेतु पुलिस निरीक्षक से प्राप्त आवेदन पर विचार हेतु दिनांक-01.02.2016 को आयोजित स्थापना समिति की बैठक के उपरान्त की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित पुलिस निरीक्षकों का कॉलम-05 में अंकित जिला/इकाई में तत्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरण किया जाता है:-

क्र० सं०	पुलिस निरीक्षक का नाम/ जन्म तिथि	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	स्थानान्तरित जिला/इकाई
1	2	3	4	5
1	देवन्द्र प्रसाद	मोतिहारी	बगहा	अप०अनु० विभाग
2	विनय कुमार शर्मा	-	पटना	विशेष शाखा
3	देव नारायण महतो 10.02.63	सीतामढ़ी	वैशाली	अप०अनु० विभाग
4	राजेश कुमार	अररिया	मुंगेर	सुपौल
5	नवीन कुमार सिंह	जहानाबाद	अररिया	पटना
6	श्री केशव कुमार भजुमदार	किशनगंज	अररिया	नालंदा
7	श्री धनंजय कुमार		गया	नालंदा के स्थान पर पटना।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 291/पी०-1

04-09-46-2014

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-02/02/2016

प्रतिलिपि:-

- सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा/अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
- पुलिस उप-महानिरीक्षक, पटना/ दरभंगा/ सहरसा/ बेतिया/ मुजफ्फरपुर/ भागलपुर/ पूर्णियाँ/ गया/पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष शाखा/अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
- वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/ गया/पुलिस अधीक्षक, वैशाली/ मुंगेर/ अररिया/ सुपौल/ नालंदा/पुलिस अधीक्षक (सी), अपराध अनुसंधान विभाग/पुलिस अधीक्षक (अ), विशेष शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

चूंकि स्थानान्तरण अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है, अतः इन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यदि किसी अभ्यावेदक का इस बीच वर्तमान पदस्थापन स्थान से कहीं अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया हो, तो उन्हें उसी जिला/इकाई से स्थानान्तरित स्थान के लिए अविलम्ब विरमित कर अनुपालन प्रतिवेदन देंगे।

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।